फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर

रामधन बनाम राकेश कुमार व अन्य

प्रार्थना पत्र संख्या 12/2022

	21–01–2022	प्रार्थी की ओर से एडवोकेट श्री दीपचन्द महावर ने प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश किया। अन्तरिम आदेश हेतु प्रार्थी के अधिवक्ता को एकपक्षीय सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता को सुनने एवं पत्रावली, जमाबन्दी, का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रकरण प्रथम दृष्टया सुदृढ़ एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। इसलिए प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम आदेश पारित करना उचित समझते है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि खसरा नं. 155/134 रकबा 1.0750 हैक्टेयर स्थित ग्राम हीरावाला तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 अपनी भूमि खसरा नं. 156/134 की आड में किसी प्रकार का अवैध कब्जा नहीं करें, किसी प्रकार से हाई वोल्टेज बिजली की लाईन नहीं लगवाये, किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करें प्रार्थी के उपयोग उपभोग व कब्जे व कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करें, बा जोत में कोई व्यवधान नहीं डाले, तथा बेदखल नहीं करें, मौके की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त कार्य ना तो अप्रार्थीगण स्वयं करें ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट आदि से करवाये। उक्त आदेश पर कोई आपत्ति हो तो न्यायालय हाजा में आगामी तारीख पेशी को पेश करें। आदेश कि प्रति पालनार्थ तहसीलदार / थानाधिकारी जमवारामगढ़ को तहरीर जारी होकर पत्रावली दिनांक 22/3/2022 को पेश हो। (विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	

22/03/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०
पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/ जवाब/डीडी हाय
दिनांक 18/04/22 को पेश हो।

18/4/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०
पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/ तामील अदम
दिनांक 11/07/2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़, जिला-जयपुर

11/7/22 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी
को रुक-रुक
तीन बार आवाजें कर बार-बार
किन्तु अनुपस्थित। लगातार गैर
प्रार्थना पत्र को प्रार्थी के अदम सबूत
व अदम पैरवी में खारिज किया
जाता है। पत्रावली फैसल शुमार
होकर नकल से काम हो बाद
पूर्ति दाखिल रिकार्ड हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़, जिला-जयपुर